भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

273593

॥श्री॥

दानपत्र आराजी खसरा नम्बर 370/0.25 वाके ग्राम
कोठीनारायणपुर तहसील राजगढ ॥अलवर॥ का 4/5 हि.
॥ 0.20 हैक्टर आराजी ॥

- -

यह दानपत्र आज दिनांक 03.04.2008 को श्रीमति सावित्रादेवी आयु करीब 40 साल पत्नी राव सज्जनसिंह यादव निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला ~~अलवर~~ महेन्द्रगढ ॥हरियाणा॥ हालवासी राजगढ ॥अलवर॥ जिसे आगे "दाता" कहा गया है जो इस लेख्य पत्र की प्रथम पक्षकार है एवं "राव शिक्षा-समिती" कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ ॥अलवर॥ जरिये सचिव श्रीमति सविता यादव निवासी कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ ॥अलवर॥ जिसे आगे "दानग्रहिता" कहा गया है एवं जो इस लेख्य पत्र की द्वितिय पक्षकार है के मध्य निष्पादित किया जा रहा है ।

चूंकि आराजी खसरा नम्बर 370/0.25 रयाव प्रथम वाके ग्राम

क्रमांक 05 तारीख 3/4/08 किमती स्टाम्प 500+2100=2600/-
वास्ते बैनामा श्रीमती सावत्री देवी w/o राव सज्जन सिंह
जाति यादव निवासी हाल राजगढ़

स्टाम्प विक्रेता

000 x 2 · 2000/
500 x 2 1000/
100 x 1 100/
3100/-

3/4/08

3/4/08 गुरुवार
12 से 1 दान पत्र
सावत्री देवी
राव सज्जन सिंह
यादव 50 पाल तह महेन्द्रगढ़
हरबन्श लाल सुराना
उप पंजीयक

3170 3/4/08
1213 200
कामि मु० 2964 6
4377 2
उप पंजीयक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

273594

राजस्थान RAJASTHAN

कोठीनारायणपुर तहसील राजगढ जिला अलवर में है । जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2061 से 2064 का खाता नम्बर 120 के अनुसार आराजी उक्त सालिम प्रथम पक्षकार "दाता" के कब्जे दखल खातेदारी की आराजी है । जिस पर किसी किस्म का कोई भार नही है हर भार से मुक्त है । एवं आराजी उक्त के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नही है नाही कोई स्थगन आदेश है । चूंकि दाता दाता शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अपनी आराजी को दान देने की इच्छुक है । अतएवं यह दानपत्र तहरीर किता करती है:-

1- यह है कि दाता अपनी खातेदारी की आराजी उक्त खसरा नम्बर 370/0.25 वाके कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ के 4/5 भाग की आराजी को उसके सलग्न समस्त अधिकारो सहित एवं हकुक खातेदारी सहित अपनी इच्छा से द्वितिय पक्षकार " राव शिक्षा समिति" कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ

१३५

क्रमांक 05 तारीख 3/4/08 कीमती राशि 500/-
वास्ते श्रीमती सावत्री देवी W/o राव सज्जनसिंह
जाति यादव निवासी हाल राजगढ़

सावत्री देवी W/o रावसज्जन सिंह
यादव सा पाल तह महेन्द्रगढ़
हाल राजगढ़
दान पत्र

मोहन लाल

पदमाराम
मीणा
राजगढ़

रामकुमार

भीमाराम
यादव
थाना राजाजी
3/4/08

3/4/08

जिला अलवर को दान करती हैं तथा अन्तरित, हस्तान्तरित, अदायगी और उसकी पुष्टि करती है ।

2- यह है कि दाता उक्त आराजी की एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उसे आराजी उक्त को किसी भी प्रकार से दान करने, अन्तरितकरने एवं निर्वतन करने, विक्रय करने आदी के अधिकार प्राप्त हैं । एवं एतदद्वारा अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुये दान ग्रहिता के पक्ष में उक्त आराजी का निर्वतन, हस्तान्तरण, अन्तरण करती है । दान ग्रहिता को आराजी उक्त का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करानें, आराजी का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार करने उस पर आधिपत्य रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

3- यह है कि अब दाता का आराजी उक्त से कोई सम्बन्ध नही रहा है ।

4- यह है कि दान ग्रहिता नें दान लेना स्वीकार कर लिया है ।

अतः यह दान पत्र पक्षकारान नें अपनी राजी खुशी होस हवास के आहाते तहसील राजगढ में पांच पांच सौ रूपये के दो स्टाम्प व एक किता पाईप पेपर सादा पर लिख दिया सनद रहें । एवं एक एक हजार रूपये के दो, एक सौ रूपेय का एक टिकिट वास्ते पुरा करने स्टाम्प डयुटी शामिल दान पत्र किये है जिन्हे प्रथम स्टाम्प पर चस्पा किये हैं । दानशुदा आराजी का अनुमानित मूल्य 61,800/-रूपये है । जिस पर कुल 3100/-रूपये के स्टाम्प व टिकिट लगायें है । टाईपिंग बाई राकेश कुमार शर्मा वसीका नवीस राजगढ कहे दाता के लिखें। तारिख 03.04.2009 दस्तावेज सादा में 467 शब्द वो 41 लाईन है जो रजिस्टर में 360 पर दर्ज किया है । ह. दाता:- - - - - - -

ह. दान ग्रहिता: - - - - - - -

आज दिनांक 3/4/08
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 248
के पृष्ठ संख्या 87 से 87 पंजीयन
क्रम संख्या 424 पर पंजीयन किया
गया तथा [illegible] संख्या 424
जिल्द संख्या 276 के पृष्ठ संख्या 617
से 622 पर चस्पा किया गया।
उप पंजीयक [illegible]

भारतीय गैर न्यायि

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पये Rs. 500

DIA NO ICIAL

SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE

06 3/4/08

राजस्थान RAJASTHAN 273595

§श्री§

दानपत्र आराजी खसरा नम्बर 369/0.19 वाके ग्राम
कोठीनारायणपुर तहसील राजगढ §अलवर§ का 12/19
हिस्सा § 0.12 हैक्टर आराजी §

- -

1 90 यह दान पत्र आज दिनांक 03.04.2008 को श्रीमति स.क्रिादेवी आयु
2 93 करीब 40 साल पत्नी राव सज्जनसिंह यादव, एवं सज्जनसिंह आयु करीब 45 साल
3 92 पुत्र राव रामसिंह यादव निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला महेन्द्रगढ §हरियाणा§
4 94 हालबासी राजगढ §अलवर§ जो इस लेखय पत्र के प्रथम पक्षकार है एवं जिन्हे आगे
5 92 "दाता" से सम्बोधित किया गया है । एवं " राव शिक्षा समिति" कोठी नारा-
6 90 यणपुर तहसील राजगढ §अलवर§ जर्ये सचिव श्रीमति सक्रिा यादव, कोठीनारायणपुर
7 93 तहसील राजगढ §अलवर§ जो इस लेख्य पत्र की द्वितिय पक्षकार है जिन्हे आगे
8 90 § दानग्राहिंता§ कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया है ।
9 90 जो कि आराजी खसरा नम्बर 369/0.19 रुपाद प्रथम वाके ग्राम -

908

नम्बर 06 तारीख 3/4/08 कितनी राशि 500+1350=1850/-

वास्ते दान-पत्र श्रीमती सावत्री देवी w/o राव सज्जनसिंह

जाति यादव निवासी हाल राजगढ़

हस्ताक्षर

व्यय / विवरण

1000×1 =	1000
500×1	500
100×3	300
50×1	50
नम्बर 6	2/1850/-

3/4/08

3/4/08 शुक्रवार

12से1 दानपत्र

सावत्री देवी

राव सज्जन सिंह

यादव 50 पाली महेन्द्रगढ़

हरबक्श लाल खुराना

3169 3/4/08

1152 200

कमि मु० 3910 6

5262/-

कोठीनारायणपुर तहसील राजगढ जिला अलवर में है । जो जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 का खाता नम्बर 121 के अनुसार सालिम आराजी प्रथम पक्षकार " दाता" के खातेदारी की आराजी है । जिस पर किसी किस्म का कोई भार नही है हर भार से मुक्त है । आराजी उक्त को किसी भी प्रकार से रहन -बय-दान करने का दाता को पूर्ण अधिकार हैं । चूंकि प्रथम पक्षकार दाता शिक्षा के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रयासरत है । इसलिऐ प्रथम पक्षकार अपनी खातेदारी की आराजी उक्त खसरा नम्बर 369/0.19 में से 12/19 भाग की आराजी को द्वितिय पक्षकार "राव शिक्षा समिती" को दान देने की इच्छुक हैं । लिहाजा प्रथम पक्षकार अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुवे अपनी खातेदारी की आराजी उक्त के 12/19 भाग की आराजी को उससे सलग्न समस्त अधिकारो सहित एवं हकुक खातेदारी सहित द्वितिय पक्षकार "दाता" को दान करता है तथा अन्तरित हस्तान्तरित, अदायगी और उसकी पुष्टि करते हैं । आराजी दानशुदा पर प्रथम पक्षकार नें कब्जा द्वितिय पक्षकार का करा दिया है । एवं द्वितिय पक्षकार नें दान लेना स्वीकार कर लिया है । अब आराजी दानशुदा से प्रथम पक्षकार या उसके किसी भी वारीस कायम मुकामान के कोई हक सम्बन्ध नही रहे हैं । आराजी दानशुदा को दानग्रहिता को सदैव शान्ती पूर्वक और निच्छल रूप से प्रेक्षा करने, अपने पास रखने, धारण करने उस पर आधिपत्य रखने एवं किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग करने एवं आराजी का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार होगा । अतः यह दान पत्र पक्षकारान नें अपनी राजी खुशी होस हवास के आहाते तहसील राजगढ में पांच सौ रूपये का एक स्टाम्प व दो किता पाईप पेपरो पर लिख दिया सनद रहें । एवं एक हजार रूपये का

260

सावत्री देवी w/o राव सज्जन सिंह
राव सज्जन सिंह s/o राव रामसिंह
यादव सा पाल तह महेन्द्रगढ़
गांव राजगढ़
दानपत्र

मोहन लाल

पद्माराम
मीणा
राजगढ़

रामकुवार

भीमाराम
यादव
थाना राजाजी
3/4/08

3/4/08

31-94 एक, सौ सौ रूपये के तीन, पचास रूपये का एक टिकिट वास्ते पुरा करने स्टाम्प

32- 92 ड्युटी शामिल दान पत्र किये है । आराजी दानशुदा की बाजारू कीमत 37000/-

33- 94 रूपये है जिस पर कुल 1850/-रूपये के स्टाम्प व टिकिट लगायें है । टाईपिंग बाई

34- 92 राकेश कुमार शर्मा कातिब नवीस राजगढ कहे दान दाता के लिखा । तारीख

35- 98 03.04.2008 दस्तावेज हाजा में 449 शब्द वो 36 लाईन है जो रजिस्टर में 361

36- 8 पर दर्ज किया गया है । ह.दाता:-1 - - - - - - - - -2- - - - - - -

ह दान स्वीकार है ह.दानगृहिता:- - - - - - - - - -

Guardian/Secretary
RAO SIKSHA SAMITI,
Kothinarayan Pur (Rajgarh)

ह.गवाह:-1 - - - - - - - - -2- - - - - - - - - - -

{मोहनलाल पुत्र पदमाराम मीना} आयु- 38 साल निवासी मान्दीन मोहल्ला, राजगढ {अलवर}

{रामकुमार पुत्र भीमाराम यादव} आयु- 34 साल निवासी थाना राजाजी तह. राजगढ {अलवर}

- - - - - - - - - - -

राकेश कुमार शर्मा
कतीका नवीस, राजगढ

908

आज दिनांक 3/4/08
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 248
के पृष्ठ संख्या 86 से 86 पंजीयन
क्रम संख्या 423 पर पंजीकृत किया
गया तथा अतिरिक्त ... संख्या 423
जिल्द संख्या 276 के पृष्ठ संख्या 611 से
पर 616 पर चस्पा किया गया।
उप पंजीयक ...

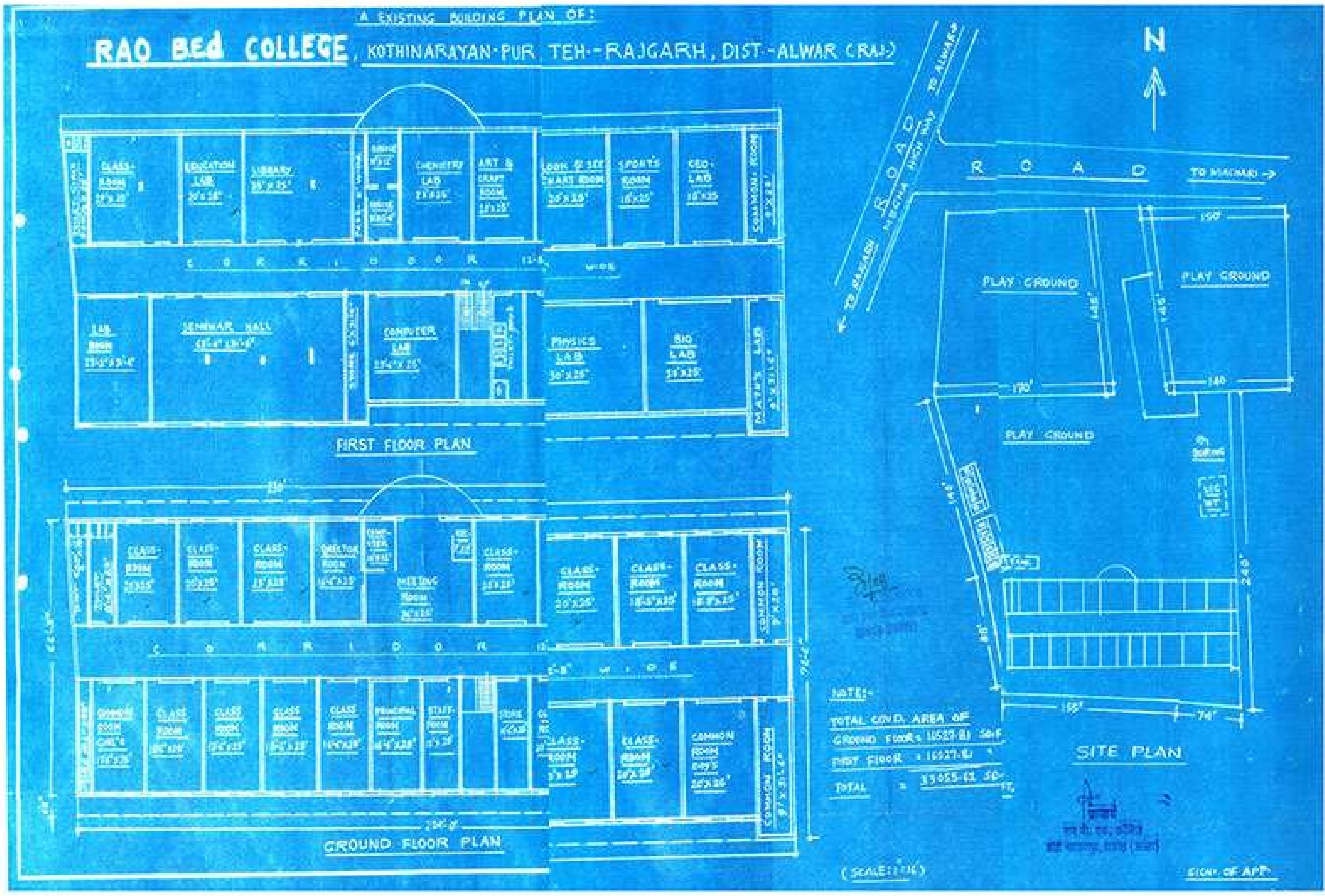

A EXISTING BUILDING PLAN OF:
RAO BEd COLLEGE, KOTHINARAYAN PUR TEH.-RAJGARH, DIST.-ALWAR (RAJ.)
CLASS-ROOM
EDUCATION LAB
LIBRARY
CHEMISTRY LAB
ART & CRAFT ROOM
SPORTS ROOM
GEO-LAB
COMMON ROOM
CORRIDOOR
WIDE
LAB ROOM
SEMINAR HALL
COMPUTER LAB
PHYSICS LAB
BIO LAB
MATH'S LAB
FIRST FLOOR PLAN
CLASS-ROOM
DIRECTOR ROOM
MEETING ROOM
COMMON ROOM
CORRIDOR
CLASS ROOM
PRINCIPAL ROOM
STAFF ROOM
STORE
GROUND FLOOR PLAN
N
ROAD
TO MACHARI
TO ALWAR
TO RAJGARH
PLAY GROUND
PLAY GROUND
PLAY GROUND
SITE PLAN
NOTE:-
TOTAL COVD. AREA OF
GROUND FLOOR = 16527.81 SQ.FT.
FIRST FLOOR = 16527.81
TOTAL = 33055.62 SQ.FT.
(SCALE 1:16)
SIGN. OF APP.

कार्यालय नगर पालिका मण्डल राजगढ़ (अलवर) राज0

क्रमांक [illegible] दिनांक 27/7/2022

श्रीमान [illegible]

[illegible]

विषय :- संस्थागत प्रयोजनार्थ भूमि पट्टा विलेख का पंजीयन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर पालिका राजगढ़ (अलवर) द्वारा संस्थागत ~~[illegible]~~ प्रयोजनार्थ हेतु श्री / श्रीमती राणा [illegible] समिति कोठी नारायणपुर जाति [illegible] निवासी [illegible] नारायणपुर के हक में आबादी भूमि (राजगढ़) खसरा नं0 369, 370 में 4124.66 वर्गगज का ~~[illegible]~~ संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख क्रमांक 146 दिनांक 15.7.22 के द्वारा जारी किया गया है अतः निवेदन है कि पट्टे का पंजियन करने की कृपा करें तथा एक प्रति पंजीयन शुदा पट्टे की इस कार्यालय को भिजवाने का श्र[म] करें।

संलग्न :-

1. पट्टा विलेख एवं नक्शा 3-3 प्रतियों में

अधिशाषी
नगर पालिक[ा]

राजस्थान नगर पालिका - [illegible] पट्टा नियम- 2015 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

गैर कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम

आवासीय/मिश्रित/होटल/संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें

[illegible] संपरिवर्तन आदेश जिसके आधार पर यह पट्टा दिया जा रहा है।

पट्टा [illegible] भवन मे प्रचलित भवन विनियम व [illegible] मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।

1 पट्टा धारक द्वारा भवन का उपयोग नहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। [illegible] परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों [illegible]

2 पट्टा धारक उक्त भवन को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा। [illegible] निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि

3 भवन के विक्रय/हस्तान्तरण पर [illegible] कोई राशि देय नहीं होगी।

[illegible] बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के [illegible]

4 पट्टा विलेख को [illegible] अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।

5 भवन निर्माण [illegible] के मानदण्डों के तहत करना होगा।

[illegible] का उप विभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

6 [illegible] नगर पालिका [illegible] राजगढ़ (अलवर) [illegible] पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

7 पट्टा विलेख की [illegible] शर्तें लागू होगी।

8 पट्टा [illegible] भूखण्ड/भवन पर सभी प्रकार के देयता व वचनबद्धता प्रभावी रहेगी

9 पट्टा धारक द्वारा सभी प्रकार के [illegible] करना होगा, [illegible] से पूर्ण भूखण्ड [illegible]

भूखण्ड के [illegible] कोई भी [illegible] नहीं होगा।

10 यह पट्टा विलेख भूखण्ड का स्वामित्व का दस्तावेज है, भवन के निर्माण के विनियम व भवन स्वीकृति का प्रमाण नहीं होगा।

12 अन्य संस्थागत

हेरिटेज भवनों हेतु अतिरिक्त शर्तें

1 भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार करते हुए उस क्षेत्र के हैरिटेज स्वरूप को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

2 ऐसे परम्परागत भवन जिनमें नीचे दुकानें और ऊपर आवासीय भवन बने है ऐसे भवन मिश्रित भू उपयोग की श्रेणी में मान्य होंगे।

3 परम्परागत भवन जिनमें पारिवारिक बटवारे से भवन का मौके पर अंकित हिस्सा/काबिज हो रखा है तथा एक ही भवन में प्रत्येक मंजिल पर हिस्सेदारी से काबिज है उनका विस्तृत साईट प्लान मय क्षेत्रफल के एवं निर्मित क्षेत्रफल के अनुरूप पृथक के साईट प्लान इस पट्टे के साथ संलग्न है जो इस पट्टे का भाग है।

4 शहर के चार दिवारी क्षेत्र में भवनों का निर्माण/पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार हैरिटेज के मानदण्ड अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।

5 हैरिटेज महत्व के सीमों व स्मारकों के आसपास के क्षेत्र के भवनों का निर्माण ASI/Rajesthan State AST के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।

6 यह पट्टा स्वनिर्धारण के आधार पर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पट्टा धारक स्वयं जिम्मेदार होगा।

अन्य शर्तें आवश्यकतानुरूप जोड़ी जा सकती है।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण। सलग्न नक्शा अनुसार

पूर्व ________ पश्चिम ________

उत्तर ________ दक्षिण ________

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. [signature]

2. ________

अंगूठा निशान

अंगूठा निशान

साक्षी :-

हस्ताक्षर रमेशचन्द

नाम रमेशचन्द S/o किशन स्वरूप

पता 605 मोहल्ला [illegible] गली राजगढ़ [illegible]

अंगूठा निशान

पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।

Registered and Endorsement Attachesd

	साइट प्लान	N / W ← → E / S
	पड़ोस	
	चौड़ाई	
पड़ोस	भूखण्ड सं	पड़ोस
लम्बाई	क्षेत्रफल 4124.66 वर्ग गज	

सड़क की चौड़ाई

साईट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते है।

[signature]

अध्यक्ष

नगर पालिका, राजगढ़ (अलवर)

[signature]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका राजगढ़ (अलवर)

नगर पालिका मण्डल

राजगढ़ जिला–अलवर (राज.)

69–क पट्टा–विलेख (फ्री होल्ड)

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 -क के तहत
गैर-कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम- 2015 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक : 146

दिनांक 15 . 7 . 2022

पट्टा धारक का नाम ...... राव शिक्षा समिति ...... पुत्र/पुत्री ......

पत्नि ...... पति ......

निवासी ...... कोठी नारायणपुर तह· राजगढ़ ......

भूखण्ड सं. ...... क्षेत्रफल ...... 4124 . 66 वर्ग गज ......

योजना ...... पुरानी आबादी ...... में स्थित है।

नगर पालिका मण्डल, राजगढ़ (अलवर) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 15 . 7 . 2022 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ......

2. ......

अध्यक्ष
नगर पालिका, राजगढ़ (अलवर)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजगढ़ (अलवर)

नोट:- शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

पंजीयन/पृष्ठांकन संलग्न है।

Registered and Endorsement Attachesd